स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 126, दिनाक 26-04-2024

कूटरचित दस्तावेज (अंकपत्र) के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर नौकरी करने वाला जनपद देवरिया से गिरफ्तार।

दिनाक 26-04-2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को फर्जी/कूटरचित दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक को जनपद देवरिया से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

1- राजीव शुक्ला पुत्र उमाशंकर शुक्ल निवासी ग्राम मामखोर, पोस्ट खरवाइचखोर, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर।

<u>बरामदगीः-</u>

01- नगद 220/- रूपये
02- 01 अदद मोबाइल।
03- 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
04- 01 अदद मतदाता पहचान पत्र।
05- 01 अदद आधार कार्ड।
06- 01 अदद पैन कार्ड।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः-</u>

दिनांक 26-04-2024 को समय लगभग 13:30 बजे प्राथमिक विद्यालय बारामुकुन्द, ग्राम बारामुकुन्द, विकास खण्ड भलुअनी, जनपद देवरिया।

विगत कुछ समय से बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाकर अध्यापक की नौकरी करने वालों के सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 को सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 यशवंत सिंह, मु0आ0 आशुतोष तिवारी, मु0आ0 महेन्द्र प्रताप सिंह, मु0आ0 अशोक कुमार सिंह, मु0आ0 चन्द्रभूषण सिंह की टीम द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया कार्यालय से सम्बन्धित शिक्षकों के बारे में जानकारी हेतु सम्पर्क कर अभिलेख प्राप्त किये गये। जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि प्राथमिक विद्यालय बारामुकुन्द, ग्राम बारामुकुन्द, विकास खण्ड भलुअनी, जनपद देवरिया में राजीव शुक्ला पुत्र उमाशंकर शुक्ल निवासी ग्राम मामखोर, पोस्ट खरवाइच, खोर, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर द्वारा कूटरचित दस्तावेज/अंकपत्र के आधार पर अध्यापक की नौकरी कर रहा है। इस जॉच के आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा आज दिनांक 26-04-2024 को प्राथमिक विद्यालय बारामुकुन्द से राजीव शुक्ला उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम राजीव शुक्ला पुत्र उमाशंकर शुक्ल निवासी ग्राम मामखोर, पोस्ट खरवाइच, खोर, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर है। वह

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र विजयशंकर द्विवेदी ग्राम पटहुओं पोस्ट ककरही थाना गोला, जनपद गोरखपुर के साथ मिलकर बनवाया था, इनकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। पिता के नाम के बारे में पूछने पर बताया कि उनका नाम उमाशंकर शुक्ल है, चूँकि अंकपत्र, प्रमाण पत्र पर हर जगह नर्वदेश्वर था तो उसने आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पर नर्वदेश्वर ही पिता का नाम लिखवा दिया। अध्यापक पद पर नौकरी के समय बी0टी0सी0 का अंक पत्र राजीव पुत्र नर्वदेश्वर के नाम का विजयशंकर द्विवेदी को मिला था, उसी आधार पर सभी जगह पिता का नाम नर्वदेश्वर लिख कर अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड कूटरचित करके बनवा लिये, जिसके आधार पर शिक्षक की नौकरी कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना भलुअनी, जनपद देवरिया में धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।